

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART-II
SECTION-3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Commerce and Industry
(Department of Commerce)

New Delhi, dated the 18th October, 2007

NOTIFICATION

S.O. 1784(E).- Whereas M/s State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu, has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereinafter referred to as the said Act, to set up a sector specific Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth centres, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu. *Oragadam*

And whereas the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development and operation of the sector specific Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations in Kancheepuram District on 19th June, 2007;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby notifies the following area at Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu, comprising of the survey numbers and the area given in the table below, as a Special Economic Zone, namely:-

TABLE

Sl.No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectare)
1.	Mathur	459A pt	0.44.4
2.		451 pt	1.03.0
3.		450	0.91.0
		442pt	0.28.2
		443 pt	0.47.6
		444 pt	0.21.2

7.	Mathur	445	0.15.5
8.		446	0.23.5
9.		447	0.65.0
10.		449A pt	2.04.5
11.		448	0.74.5
12.		410A pt	0.58.7
13.		409 pt	0.61.0
14.		408 pt	0.40.0
15.		388 A pt	0.06.6
16.		411 pt	2.55.6
17.		414 pt	0.40.8
18.		415 pt	1.03.3
19.		416	0.53.5
20.		417	1.55.5
21.		418	1.18.0
22.		419	0.98.0
23.		420	0.46.0
24.		421	0.55.0
25.		422	0.22.5
26.		424	1.17.5
27.		425pt	0.95.8
28.		423	1.40.5
29.		426	0.44.0
30.		427 pt	0.75.6
31.		437pt	0.46.0
32.		436	2.13.5
33.		428	2.49.5
34.		434	0.98.5
35.		433	2.34.0
36.		432	1.39.0
37.		429	2.06.0
38.		430	0.59.0
39.		431	0.43.5
40.		412	1.71.0
41.		413 pt	0.37.0
42.		438 pt	0.08.1
43.		439 pt	0.03.4
44.		407 pt	0.05.0
45.		435	0.34.5
46.	Oragadam	3 pt	0.12.3
47.		2 pt	0.05.4
48.		1 pt	1.03.2

49.	Vallam	460	3.50.0
50.		459	3.28.0
51.		447	0.75.0
52.		446	0.72.5
53.		444 pt	2.15.6
54.		448 pt	3.63.4
55.		456 pt \	1.98.2
56.		455 pt	1.13.3
57.		457	4.20.0
58.		458	5.62.5
59.		443 pt	0.13.1
60.		445	1.11.5
61.	Panrutti A	1 pt	10.82.2
62.		2 pt	0.02.6
63.		10 pt	0.26.0
64.		9 pt	1.09.0
65.		11	2.28.5
66.		7 pt	0.41.2
67.		12	0.34.0
68.		13	0.17.0
69.		14 pt	1.76.7
70.		19	1.76.0
71.		18	2.13.0
72.		20	3.45.5
73.		21 pt	10.61.8
74.		22 pt	2.30.8
75.		23 pt	0.01.6
76.		6 pt	0.30.1
77.	Panrutti B	428 pt	0.94.5
78.		430	1.84.5
79.		427	3.46.5
80.		429 pt	0.75.5
81.		431 pt	3.27.8
82.		432 pt	4.34.7
83.		433	2.60.0
84.		656 pt	2.94.3
85.		443 pt	2.24.3
86.		436 pt	0.02.3
87.		435 pt	0.11.2
88.		434 pt	0.21.4
89.		416 pt	0.25.7
90.		417 pt	0.16.6

91.	Panrutti B	418 pt	0.89.8
92.		420 pt	0.86.7
93.		421 pt	1.00.9
94.		422 pt	1.22.2
95.		423 pt	1.22.6
96.		424 pt	1.02.2
97.		425	1.45.0
98.		411 pt	0.23.8
99.		426	2.99.0
100.		410 pt	0.89.7
		TOTAL	140.75.5

(F.2/717/2006-SEZ)

Anil Mukim,
Joint Secretary to the Government of India.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4835] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 8, 2018/अग्रहायण 17, 1940
No. 4835] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 8, 2018/AGRAHAYANA 17, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6065(अ).—यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 140.755 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना संख्या का.आ. 1784(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 द्वारा अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इण्डस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 962/एम आई ई.2/2015-7 दिनांक 15.06.2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 133.644 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	वल्लम	455 पार्ट	0.049
2.		458 पार्ट	2.861
3.		460 पार्ट	0.101
4.	माथुर	412 पार्ट	0.226
5.		414 पार्ट	0.121
6.		415 पार्ट	0.933
7.		416 पार्ट	0.535
8.		417 पार्ट	0.887
9.		418 पार्ट	0.405
10.		429 पार्ट	0.393
11.		430 पार्ट	0.554
12.		431 पार्ट	0.046
	कुल		7.111
उपयुक्त घटाव के पश्चात एसईजेड का कुल शेष क्षेत्रफल			133.644

[फा. सं. एफ. 2/717/2006-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2018

S.O. 6065(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Sector Specific SEZ for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centres, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 140.755 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1784(E) dated 18th October, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 7.111 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 962/MIE.2/2015-7 dated 15.06.2018;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 7.111 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 7.111 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 133.644 hectares, comprising the survey numbers and the areas given below in the table, namely:-

TABLE FOR DELETION AREA

Sl.No.	Name of Village.	Survey No.	Area in hectares
1.	Vallam	455 Pt.	0.049
2.		458 Pt.	2.861
3.		460 Pt.	0.101
4.	Mathur	412 Pt.	0.226
5.		414 Pt.	0.121
6.		415 Pt.	0.933
7.		416	0.535
8.		417 Pt.	0.887
9.		418 Pt.	0.405
10.		429 Pt.	0.393
11.		430 Pt.	0.554
12.		431 Pt.	0.046
	Total		7.111
	Grand total area of SEZ after above deletion		133.644

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

B. B. SWAIN, Addl. Secy.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042022-235246
CG-DL-E-20042022-235246

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1789]
No. 1789]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2020

का.आ. 1879(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्रों सं. का. आ. 1784(अ) दिनांक 18 अक्तूबर, 2007 तथा सं. का. आ. 6065(अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 2018 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 140.755 हेक्टेयर एवं 7.111 हेक्टेयर के क्षेत्र को क्रमशः अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 14864/एम आई ई.2/2019-1 दिनांक 13.12.2019 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि., इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरुन्दुरई ग्राम, इरोड जिले में विशेष आर्थिक जोन में से 12.14 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 121.504 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	पनरुति बी	410 भाग	0.890
2.		411 भाग	0.237
3.		423 भाग	0.002
4.		424 भाग	0.790
5.		425	1.451
6.		426	2.992
7.		427	3.336
8.		428 भाग	0.945
9.		429 भाग	0.082
10.		430	1.194
11.		431 भाग	0.168
12.	पनरुति ए	20	0.053
कुल			12.14
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			121.504

[फा. सं. एफ.2/717/2006-एसईजेड]

एस. किशोर, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2020

S.O. 1879E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified 140.755 hectares and de-notified 7.111 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 1784(E) dated 18th October, 2007 and S.O. 6065(E) dated 03rd December, 2018, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 12.14 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 14864/MIE.2/2019-1 dated 13th December, 2019;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 12.14 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 12.14 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 121.504 hectares, comprising the survey numbers and the areas given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1	Panruti B	410 Pt	0.890
2		411 Pt	0.237
3		423 Pt	0.002
4		424 Pt	0.790
5		425	1.451
6		426	2.992
7		427	3.336
8		428 Pt	0.945
9		429 Pt	0.082
10		430	1.194
11		431 Pt	0.168
12	Panruti A	20	0.053
Total			12.14
Grand Total Area of SEZ after above deletion			121.504

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

S. KISHORE, Addl. Secy.

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042022-235294
CG-DL-E-22042022-235294

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1822]
No. 1822]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2022/ वैशाख 2, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2022/VAISAKHA 2, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2022

का.आ. 1913(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालुक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्रों सं. का.आ. 1784(अ) दिनांक 18 अक्टूबर, 2007 तथा का.आ. 6065(अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 2018, का.आ. 1879(अ) दिनांक 09 सितंबर, 2020 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 140.755 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 7.111 हेक्टेयर एवं 12.14 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 1.716 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 10907/एमआईई.2/2021-1 दिनांक 03 दिसंबर, 2021 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 1.716 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। इसके अलावा, डेवलपेर ने पहले ही एसईजेड क्षेत्र में 1.716 हेक्टेयर (4.24 एकड़) के प्रस्तावित खाली भूमि को यूनिट अर्थात् मेसर्स बीवाईडी इंडिया प्रा. लि. को आवंटित कर दिया है, जो पहले से ही अनधिसूचित क्षेत्र में एक डीटीए इकाई के रूप में कार्य कर रही है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लि., इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, पेरुनदुरई ग्राम, इरोड जिले में विशेष आर्थिक जोन में से 1.716 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 119.788 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित एसएफ संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1	पनरुति ए	20 भाग	0.522
2		21 भाग	0.797
3	पनरुति बी	429 भाग	0.397
कुल			1.716
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			119.788

[फा. सं. एफ. 2/717/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2022

S.O. 1913(E).— Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 140.755 hectares and subsequently, de-notified two areas of 7.111 hectares and 12.14 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 1784(E) dated 18th October, 2007 and S.O. 6065(E) dated 03rd December, 2018 and S.O. 1879(E) dated 10th September, 2020 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 1.716 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 10907/MIE.2/2021-1 dated 03rd December, 2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.716 hectares of the Special Economic Zone. Further, the Developer has already allotted the vacant land proposed to be de-notified ad-measuring 1.716 hectares (4.24 acres) in the SEZ area to the Unit namely M/s. BYD India Pvt. Ltd., which is functioning as a DTA Unit in the already de-notified area;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.716 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 119.788 hectares. The SF numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	SF No.	Total area in Hectares
1	Panruti A	20 pt	0.522
2		21 pt	0.797
3	Panruti B	429 pt	0.397
Total			1.716
Grand Total Area of SEZ after above deletion			119.788

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032024-253285
CG-DL-E-21032024-253285

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1440]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 21, 2024/चैत्र 1, 1946

No. 1440]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 21, 2024/CHAITRA 1, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2024

का.आ.1509(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इण्डस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ.1784(अ) दिनांक 18 अक्तूबर, 2007, का.आ.6065(अ) दिनांक 03 दिसम्बर, 2018, का.आ.1879(अ) दिनांक 09 सितंबर, 2020 तथा का.आ.1913(अ) दिनांक 21 अप्रैल, 2022 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 140.755 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित एवं 7.111 हेक्टेयर, 12.14 हेक्टेयर एवं 1.716 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 45.797 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 5834108/एमआईबी.1/2023 दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ऐसे अनधिसूचित भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 45.797 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 45.797 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 73.991 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	वालम - बी	443 भाग	0.131
2.		444 भाग	2.156
3.		445	1.115
4.		446	0.725
5.		447	0.750
6.		448 भाग	3.634
7.		455 भाग	0.026
8.		456 भाग	1.183
9.		457	4.200
10.		458 भाग	0.614
11.		459 भाग	3.152
12.		460 भाग	0.659
13.	पनरुत्ति - ए	1 भाग	5.824
14.		6 भाग	0.135
15.		7 भाग	0.333
16.		9 भाग	0.139
17.		11 भाग	0.811
18.		12	0.315
19.		13	0.170
20.		14 भाग	1.468
21.		18 भाग	2.130

22.		19	1.760
23.		20 भाग	2.261
24.		21 भाग	9.782
25.		22 भाग	2.308
26.		23 भाग	0.016
कुल			45.797
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			73.991

[फा. सं. एफ.2/717/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 2024

S.O.1509(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu; **Oragadam**

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 140.755 hectares and subsequently, de-notified three areas of 7.111 hectares, 12.14 hectares and 1.716 at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 1784(E) dated 18th October, 2007, S.O. 6065(E) dated 03rd December, 2018, S.O. 1879(E) dated 10th September, 2020 and S.O. 1913(E) dated 21st April, 2022, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 45.797 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No.5834108/MIB.1/2023-1 dated 19th December, 2023. Further, such de-notified land parcel would be utilized towards creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 45.797 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 45.797 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 73.991 hectares. The Survey numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Vallam-B	443 pt	0.131
2.		444 pt	2.156

3.		445	1.115	
4.		446	0.725	
5.		447	0.750	
6.		448 pt	3.634	
7.		455 pt	0.026	
8.		456 pt	1.183	
9.		457	4.200	
10.		458 pt	0.614	
11.		459 pt	3.152	
12.		460 pt	0.659	
13.		Panrutti-A	1 pt	5.824
14.			6 pt	0.135
15.	7 pt		0.333	
16.	9 pt		0.139	
17.	11 pt		0.811	
18.	12		0.315	
19.	13		0.170	
20.	14 pt		1.468	
21.	18 pt		2.130	
22.	19		1.760	
23.	20 pt		2.261	
24.	21 pt		9.782	
25.	22 pt		2.308	
26.	23 pt		0.016	
Total			45.797	
Grand Total Area of SEZ after above deletion			73.991	

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032026-271460
CG-DL-E-31032026-271460

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1576]

नई दिल्ली सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 1576]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.आ. 1641(अ).—यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य में स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन कॉर्पोरेशन, श्रीपेरुम्बदूर तालूक, कांचीपुरम जिले में व्यापार एवं सम्भार तंत्र संबंधी प्रचालनों सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और संबंधित सहायक सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित तथा अनधिसूचित किया था: -

क्रम. सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.1784(अ)	18.10.2007	140.755	-	140.755
(ii)	का.आ.6065(अ)	03.12.2018	-	7.111	133.644
(iii)	का.आ.1879(अ)	10.09.2020	-	12.14	121.504
(iv)	का.आ.1913(अ)	21.04.2022	-	1.716	119.788
(v)	का.आ.1509(अ)	20.03.2024	-	45.797	73.991

और यतः, मै. स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 18.753 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 469/एमआईबी.1/2025-2 दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 और पत्र सं. 12316/एमआईई. 2/2018-2-1 दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है। ऐसे अनधिसूचित भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्पल विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 18.753 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 18.753 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्रफल 55.238 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वेक्षण संख्याएँ और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	पानरुत्ति वी	416 भाग	0.255
2.		417 भाग	0.166
3.		418 भाग	0.899
4.		420 भाग	0.866
5.		421 भाग	1.008
6.		422 भाग	1.222
7.		423 भाग	1.226

8.		424 भाग	0.231
9.		427 भाग	0.130
10.		431 भाग	2.594
11.		432 भाग	3.994
12.		433 भाग	2.594
13.		434 भाग	0.214
14.		435 भाग	0.113
15.		436 भाग	0.024
16.		443 भाग	2.206
17.		656 भाग	1.011
कुल			18.753
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			55.238

[फा. सं. एफ. 2/717/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2026

S.O. 1641(E).—Whereas, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for electronic hardware and related support services including trading and logistics operations at State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Industrial Growth Centre, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District, in the State of Tamil Nadu; *Q1a.gadom*

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified/denotification the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	De-Notified Area (in Hectares)	Total Area (in Hectares)
(i)	S.O.1784(E)	18.10.2007	140.755	-	140.755
(ii)	S.O.6065(E)	03.12.2018	-	7.111	133.644
(iii)	S.O.1879(E)	10.09.2020	-	12.14	121.504
(iv)	S.O.1913(E)	21.04.2022	-	1.716	119.788
(v)	S.O.1509(E)	20.03.2024	-	45.797	73.991

AND, WHEREAS, M/s. State Industries Promotion Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 18.753 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter no. 469/MIB.1/2025-2 dated 13th October, 2025 and letter no. 12316/MIE.2/2018-2-1 dated 12.12.2018. Further, such de-notified land parcel would be utilized towards creation of infrastructure which would sub-serve the objective of the SEZ as originally envisaged;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 18.753 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 18.753 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 55.238 hectares. The Survey numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Panrutti B	416 PT	0.255
2.		417PT	0.166
3.		418PT	0.899
4.		420PT	0.866
5.		421PT	1.008
6.		422PT	1.222
7.		423PT	1.226
8.		424PT	0.231
9.		427PT	0.130
10.		431PT	2.594
11.		432PT	3.994
12.		433PT	2.594
13.		434PT	0.214
14.		435PT	0.113
15.		436PT	0.024
16.		443PT	2.206
17.		656PT	1.011
Total			18.753
Grand Total Area of SEZ after above deletion			55.238

[F. No. F. 2/717/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.